



इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट याचिका - बी संख्या - 428 वर्ष 2026

राहुल पांडे और एक अन्य
याचिकाकर्ता(ओं)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और 4 अन्य
.....उत्तरदाता(ओं)

याचिकाकर्ता(ओं) के अधिवक्ता	: अवधेश कुमार यादव	प्रतिवादी(यों)
के अधिवक्ता	: सीएससी	

न्यायालय संख्या - 54

माननीय न्यायमूर्ति दिनेश पाठक

1. याचिकाकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता, राज्य-प्रतिवादियों का प्रतिनिधित्व करने वाले विद्वान स्थायी अधिवक्ता की दलीलें सुनीं और बोर्ड पर मौजूद अभिलेख का अध्ययन किया।

2. इस रिट याचिका में अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित राहत की मांग की गई है:

(i) प्रतिवादी संख्या 2 के न्यायालय को उत्तर प्रदेश चकबंदी अधिनियम की धारा 9ए(2) के तहत मामले संख्या 687 (मनोरमा देवी बनाम सुरमती देवी) का निर्णय इस माननीय न्यायालय द्वारा निर्धारित निर्दिष्ट अवधि के भीतर करने का निर्देश देने हेतु परमादेश के रूप में एक रिट, आदेश या निर्देश जारी किया जाए।

अदालत।”

3. यह निवेदन किया गया है कि उप-निदेशक चकबंदी द्वारा दिनांक 11.03.2025 को पारित पुनर्विचार आदेश के अनुसरण में यूपीसीएच अधिनियम की धारा 9ए(2) के अंतर्गत आपत्ति विचाराधीन है। आज तक, उप-निदेशक चकबंदी द्वारा जारी निर्देशानुसार आपत्ति पर कोई निर्णय नहीं लिया गया है, जबकि दोनों पक्ष उपस्थित हो चुके हैं और मामला अंतिम निर्णय के लिए तैयार है।

4. यदि उपर्युक्त मामले के शीघ्र निपटारे के लिए निर्देश जारी किया जाता है तो विद्वान स्थायी अधिवक्ता को कोई आपत्ति नहीं है।

5. उपरोक्त संदर्भ में, इस मामले को लंबित रखने से कोई लाभ नहीं होगा, इसलिए न्यायालय इस रिट याचिका का अंतिम निपटारा करना उचित समझता है, याचिका में उल्लिखित मामले की गुण-दोष पर कोई टिप्पणी किए बिना, और चकबंदी अधिकारी (प्रतिवादी संख्या 2) को, जिनके समक्ष उपर्युक्त मामला लंबित है, यह निर्देश देते हुए कि वे विधि के अनुसार शीघ्रता से, अधिमानतः इस आदेश की प्रमाणित प्रति प्राप्त होने की तिथि से तीन महीने की अवधि के भीतर, यदि कोई अन्य कानूनी बाधा न हो, तो इसका निर्णय करें।

6. उपरोक्त निर्देश के साथ, यह आवेदन निस्तारित किया जाता है।

अस्वीकरण

“अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



(न्यायमूर्ति दिनेश पाठक)
3 फरवरी, 2026
विनय

Translated version. Not for Legal Use.

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"